न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 15/2018

वादीगण

1. लछा वल्द गोमदा
2. गेना वल्द गोमदा
3. जमना पत्नी गोमदाराम फौत के का.यु. वादी संख्या 1 व 2
   जाति मेगवाल निवासी अणखिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पूनमा वल्द प्रागा
2. सादुला वल्द प्रागा
3. डूंगरा वल्द प्रागा
4. भला वल्द प्रागा
5. जोधा वल्द प्रागा
6. गुणेशा वल्द भूराराम
7. फगलूराम पुत्र भूराराम
8. रूपादेवी पत्नी नारायणराम
   जाति मेगवाल निवासी अणखिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. शाखा प्रबन्धक बीसीसीबी शाखा नौखड़ा
10. तहसीलदार, गुड़ामालानी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

१. श्री डालूराम चौधरी अभिवक्ता वादीगण
२. श्री देवाराम चौधरी प्रतिवादीगण

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक : 12.07.2019

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 13–16 बीघा, खसरा नम्बर 132 रकबा 125–09 बीघा, खसरा नम्बर 432 रकबा 2–15 बीघा का मौजा अणखिया पटवार क्षेत्र नौखड़ा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं व हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वक्त सेटलमेंट भूराराम, प्रागाराम व गोमदाराम के नाम से बहिस्सा बराबर सेटलमेंट हुआ। तत्पश्चात गोमदाराम फौत होने से उनके जाइन्दा पुत्र वादीगण के नाम व [illegible] पुत्र प्रतिवादी संख्या 6 व 7 एवं प्रागाराम फौत होने से उनके [illegible]न्दा [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व रेकर्ड [illegible] जमना फौत हो चुकी है जिनके वारिशान व[illegible] वादीगण 1 व 2 का 1[illegible]स्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/3 हि[illegible] एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 1/3 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का है। तथा इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज हैं तथा अपने अपने हक हिस्सों की भूमि में रहवासीय ढाणियां, चारवाड़े, टांके आदि बने हुए हैं। भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, हिस्से खुले हुए नहीं होने से सेढों को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है। प्रतिवादीगण अपने हिस्से अधिक वादीगण की भूमि पर कब्जा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.19 11:06:18 IST
Reason: SelfAttested

कर अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण से पृथक कर बटवाडा करवाना चाहते हैं जिससे यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

वाद दिनांक 05.03.2017 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रतिवादीगण ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वादपत्र का इकबाई जबाब मय काउण्टर क्लेम पेश कर वादीगण के साथ साथ प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि भी पृथक कर बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। प्रस्तुत सरहद मौजा अणखिया के खेत खसरा संख्या 61 रकबा 13–16 बीघा, खसरा संख्या 132 रकबा 125–09 बीघा, खसरा नम्बर 431 रकबा 2–15 बीघा कुल रकबा 142–00 बीघा का एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जनाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा मय अधिवक्ता स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वादपत्र के सभी पदों को स्वीकार कर काउण्टर क्लेम पेश कर वादीगण के साथ साथ प्रतिवादीगण की भूमि भी पृथक की जाकर बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वादपत्र मय प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी मौजा अणखिया के खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 13–16 बीघा, खसरा नम्बर 132 रकबा 125–09 बीघा, खसरा नम्बर 432 रकबा 2–15 बीघा में वादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की भूमि पृथक की जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हक हिस्सानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा (By mets & bounds) किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौके का विभाजन तहसीलदार गुड़ामालानी विभाजन नियम बाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स पेश करें। इसी प्रकार प्राथमिक डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना स्वयं वहन करें।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.19 11:06:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर SDO (गुड़ामालानी)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुड़ामालानी